न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 30/2017 **RCMS 2017/00050**

वादीगण

1. रामपाल पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी सबलपुरा तहसील कुचामनसिटी
2. नन्दकिशोर पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी सबलपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. प्रहलाद पुत्र हनुमान
2. महावीर पुत्र हनुमान
3. भंवरीदेवी पत्नी हनुमान
4. मन्जू पुत्री हनुमान
5. संजू पुत्री हनुमान जाति समस्त ब्राहम्ण निवासी सबलपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

दावा घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट. 1955

उपस्थित :— श्री अशोक कुमार अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :— 09/04/2021

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है ग्राम सबलपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद में स्थित पुराना खसरा नम्बर 220 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा व खेत खसरा नम्बर 202 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 323 रकबा 1.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 324 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 367 रकबा 2.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 368 रकबा 0.11 हैक्टर गै.मु.रास्ता बने है, उपरोक्त खसरा नम्बर खसरा नम्बर 323 324 367 सम्पूर्ण रकबा 5.96 हैक्टर पर मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 5 का शामलाती कब्जा काश्त अपने पूर्वजो के समय से चला आ रहा है, वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के पूर्वज आईदान की वंशावली निम्न प्रकार है :—

आईदान पुत्र धन्नाराम
हनुमान खोले आईदान

रामपाल | नन्दकिशोर | प्रहलाद | महावीर | भंवरीदेवी | मंजू | संजू

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के पूर्वज आईदानराम पुत्र धन्नाराम [illegible] के कोई पुत्र नही होने से वादीगण के पिता हनुमान को [illegible] 2016 में [illegible] के मौजिज आदमियों की उपस्थिति में खोले लिया था, उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 220 व 202 वादीगण के पूर्वजों की निजी डोली के रूप में जमीन रही है, हनुमान फौत हो चुके है उनके वारिसान में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 पुत्रगण है तथा प्रतिवादीगण सं. 3 पत्नी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 पुत्रिया है जो हनुमान खोले आईदान के जायज वारिसान है इनके अलावा हनुमान के अन्य

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

वारिसान नही है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पूर्वज आईदान पुत्र धन्नाराम के नाम पुराने खेत खसरा नम्बर 202 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा दर्ज था तथा खेत खसरा नम्बर 220 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा रामबक्ष पुत्र झूंताराम जाति जाट के नाम से दर्ज था, सम्वत 2024 में आईदान के फौत होने पर खसरा नम्बर 202 इसी वर्ष वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पूर्वज ने खसरा नम्बर 220 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा रामबक्ष पुत्र झूंताराम जाति जाट से जरिये बेचाण से उक्त रकबा खरीद किया था, जिसका उल्लेख जमाबंदी सम्वत 2024–2027 के चौसाले में उक्त बेचान व आईदान का फौतगी म्यूटेशन दर्ज है, खसरा नम्बर 220 सम्वत 2012–2015 तक खातेदार रामबक्ष पुत्र झूंताराम के नाम से दर्ज रही है व खसरा नम्बर 202 आईदान पुत्र धन्नाराम के नाम से दर्ज रही है तथा सम्वत 2032–2035 में खसरा नम्बर 220 व 202 वादीगण व प्रतिवादगण 1 ता 5 के पूर्वज हनुमान पुत्र आईदान के नाम से दर्ज रही है,उपरोक्त खेतो पर जागीरदारी के समय से वादीगण के पूर्वजों का कब्जा था तथा उनके बाद वादीगण व प्रतिवादगण 1 ता 5 का कब्जा काश्त है तथा नये खसरा नम्बर 367, 323, 324 पर हनुमान पुत्र आईदान के वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 5 का शामलाती कब्जा काश्त है तथा खेत खसरा नम्बर 367 में कुआ बनाकर चारों भाईयो के नाम अपने पूर्वजो के समय से बिजली कनेक्शन लेकर रबी व खरीफ की दोनो फसले करके अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करते है तथा खसरा नम्बर 324 323 367 में पक्का मकान इत्यादि बनाकर सपरिवार निवास करते है तथ गाय भैंस उपरोक्त खेतो में ही चराते व बांधते है, सम्वत 2057–2060 के चौसले के दौरान खसरा परिवर्तन में खसरा नम्बर 202 व 220 मे परिवर्तन कर नये खसरे 323 324 व 367 बने है उक्त खसरा परिर्वतन के दौरान व खसरा नम्बर 202 220 की खातेदारी में बिना किसी राज्य आदेशो के बिना वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पूर्वज को या वादीगण को नोटिस दिये बगैर ही खातेदार हनुमान का नाम हटा कर परिवर्तनशील उपरोक्त खसरे की जमीन मन्दिर सत्यनारायणजी के नाम दर्ज कर दी गई, वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पूर्वज का नाम हटाया जाना न्यायोचित नही है, खसरा नम्बर 202 220 के इन्द्राज सम्वत 2024–2042 पुनः स्थापित किये जावे तथा रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 323 रकबा 1.48 हैक्टर खसरा नम्बर 324 रकबा 1.52 हैक्टर तथा 18 बीघा 19 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 367 रकबा 2.69 हैक्टर तथा 368 रकबा 0.11 हैक्टर बने है खसरा नम्बर 368 रास्ता होने से राज्य सरकार की खातेदारी में दर्ज है जो सही दर्ज है, उपरोक्त भूमि [illegible] सरकर में जमा दी है, खसरा गिरदावरी में भी वादीगण के पूर्वज की [illegible] गई है, उपरोक्त भूमि की खातेदारी वादीगण व उनके पूर्वजो की [illegible]जी के नाम दर्ज कर देने से व हनुमान की खातेदारी के स्थान पर खातेदारी की पुनः स्थापित करवाने हेतु घोषणा खातेदारी की दावा लाया गया है इसलिए बिना कानूनी नोटिस के ही दावा पेश किया गया है, वादीगण की इस्तदुआ है कि वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर मौजा सबलपुरा की सरहद में खेत पुराना खसरा नम्बर 220 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा व खेत खसरा नम्बर 202 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 323 रकबा 1.48 हैक्टर खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 324 रकबा 1.52 हैक्टर खसरा नम्बर 367 रकबा 2.96 हैक्टर कुल रकबा 5.96 हैक्टर की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 5 के नाम बराबर बराबर घोषित की जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती फरमाई जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबालिया जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी सं. 3 से 5 का भी जवाब इसी अनुसार माने जाने का कथन किया। प्रतिवादी सं. 6 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादीगण 1 ता 5 ने कथन किया है कि पैरा सं. 1 से 15 स्वीकार है तथा वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को बराबर–बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा मिलान क्षेत्रफल की नकल, खतौनी नकल सम्वत 2039–2042, 2057–2060, 2049–2052, 2024–2027, 2028–2031, 2039–2038, 2012–2015, 2016–2019, 2020–2023, गिरदावरी नकल सम्वत 2010–2035, बिगोड़ी रसीद 1 से 43की छाया प्रतियॉ, बिजली कनेक्शन बिल की प्रति, पट्टा पर्चा की छाया प्रति, पासबुक की छाया प्रति प्रस्तुत की है। मौखिक साक्ष्य में शपथ–पत्र रामपाल पुत्र हनुमान का प्रस्तुत हुआ।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, जिन्होने वाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यो को दोहराया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 202 220 के नये खसरा नम्बर 323 324 367 368 कायम हुए, जमाबन्दी मे निम्न अनुसार प्रविष्टियॉ अंकित है :–

खेवट जमाबन्दी की संख्या	खतौनी की संख्या	नाम पट्टी थोक व तरफ व नाम नम्बरदार तथा कर राजस्व	भूमि अधिकारी (जागीरदार, उप जागीदार) और मालगुजार बिस्वेदार या जमीदार विवरण सहित	नाम कृ ाक विवरण सहित और कृषि काज	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	सिंचाई का साधन	भूमि कर एवं विधिघ कर जो कृ ाक द्वारा जमा होते है। विवरण दर	रकम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ग्राम सबलपुरा सम्वत 2012–2015										
	131	7	डोली बनाम मन्दिर श्री सत्यनारायणजी वाक देह बएतमाम पुजारी आईदान वल्द धन्नालाल कौम ब्राहम्ण सा. देह पुजारी डोलीदार	खुद काश्त	[illegible]2	18 बीघा 11 बिस्वा	बरानी 2 प्लस			१२–।।।
	132		बशरह सदर	रामबगस वल्द झूंता कौम जाट सा.नाडा की ढ़ाणी	220	18 बीघा 19 बिस्वा				१२–

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम सबलपुरा सम्वत 2016–2019										
	124		डोली बनाम मन्दिर श्री सत्यनारायणजी वाक देह बएतमाम पुजारी आईदान वल्द धन्नालाल कौम ब्राहम्ण सा. देह पुजारी डोलीदार	खुद काश्त	202	18.55	बरानी 2 प्लस		0.15	12.17
	125		बशरह सदर	रामबगस वल्द झूंता कौम जाट सा.मीण्डा की ढ़ाणी	220	18.95	B2+			
ग्राम सबलपुरा सम्वत 2020–2023										
	122		राजस्थान सरकार	आयदान पुत्र धन्नालाल कौम ब्रहाम्ण सा. देह डोलीदार	93 86 202	1.75 11.70 18.95	B2+ B2+ B2+			
					3	32.00				
					259	5.10				
	127		राजस्थान सरकार	रामधन पुत्र झूंता कौम जाट सा. मीण्डा की ढ़ाणी	220	18.95	B2+			

ग्राम सबलपुरा सम्वत 2024–2027								
	4/ 130		राजस्थान सरकार	आईदान पुत्र धन्नालाल कौम ब्रहाम्ण सा. देह खातेदार	259 202	5.10 18.55	B2+ B2+	ना.पु.स.49 खसरा नं.202 में आयदान मृतक के गोद हनुमान खोले आयदान सा. देह खातेदार
						23.65		
	107		बसरह सदर	रामबक्ष पुत्र झूंता कौम जाट सा. मीण्डा की ढ़ाणी खातेदार	220	18.95	B2+	ना.पु.स.40 जरिये बेचान रामबक्ष के बजाय हनुमान पुत्र आईदान कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार

ग्राम सबलपुरा सम्वत 2028–2031										
	130 /4, 107		राजस्थान सरकार	हनुमान पुत्र आईदान कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार	220 202	18.95 18.65	B2+ B2+			
						37.50				
ग्राम सबलपुरा सम्वत 2035–2038										
135	134		राजस्थान सरकार	हनुमान पुत्र आईदान कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार	220 202	18.95 18.65	B2+ B2+			

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम सबलपुरा सम्वत 2039–2042										
135	135		राजस्थान सरकार	हनुमान खोले आईदान कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार	220 202	18.95 18.65 37.50	B2+ B2+			
ग्राम सबलपुरा सम्वत 2049–2052										
248	242		राजस्थान सरकार	मन्दिर श्री सत्यनारायणजी वाके देह खातेदार	323 324 367	1.48 1.52 2.96	बरानी प्रथम			
ग्राम सबलपुरा सम्वत 2057–2060										
267	257		राजस्थान सरकार	मन्दिर श्री सत्यनारायणजी वाके देह खातेदार	323 324 367	1.48 1.52 2.96	बरानी प्रथम			

गिरदावरी नकल सम्वत 2010–2013 गत खसरा नम्बर 202 एवं 220 में डोली मंदिर श्री सत्यनारायणजी पुजारी आईदान पुत्र धन्नालाल ब्राहम्ण दर्ज है परन्तु नाम उप कृषक के कॉलम में खुद काश्त दर्ज है, इसी प्रकार सम्वत 2014–2017 में मंदिर खुदकाश्त दर्ज है। उपरोक्त प्रविष्टि से स्पष्ट है कि मंदिर खुदकाश्त की भूमि में किसी भी तरह से खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही हो सकते, राज्य सरकार के आदेशानुसार ही सेटलमेंट पश्चात/सेटलमेंट दौरान ऐसे खातेदारो के खातेदारी प्रविष्टियॉ हटाई जाकर मंदिर के नाम पुनः दर्ज की गई है जो आदिनॉक मंदिर के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, वादीगण द्वारा यह भी स्पष्ट नही किया गया है कि उनके खातेदारी अधिकार की प्रविष्टियॉ कब एवं किस नामान्तरकरण से हटाई गई है तथा रेकर्डेड खातेदार मंदिर सत्यनारायणजी को भी प्रतिवादी पक्षकार नही बनाया गया है, केवल मात्र एक ही परिवार के सदस्य वादी एवं प्रतिवादीगण अंकित करते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है तथा दुर्भी संधि कर प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी चाही है जो नियमो से हटकर वाद प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि समय समय पर अलग अलग खातेदारो के नाम दर्ज रही जो गलत रूप से दर्ज हुई है, वादी ने कथन किया है कि उनके पूर्वजों द्वारा वादग्रस्त भूमि क्रय की गई है जिसका रजिस्टर्ड किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है वे फोटो प्रति है प्रमाणित प्रतिया /मूल दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है, [illegible] साक्ष्य अधिनियम अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य नही है, बिजली बिल में कही पर भी [illegible] खसरा नम्बर जैसी प्रविष्टि इत्यादि अंकित नही है जिससे स्पष्ट नही हो [illegible] बिल इसी भूमि के रहे हो, वरवक्त भूमि की रेख देख हेतु पुजारी को रखा गया था चूँकि मूर्ति नाबालिग होने से एवं उस मंदिर की सेवा पूजा हेतु पुजारियों को गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किया जाता था जिससे समय पर मंदिर में विराजमान मूर्ति यथा देवता की पूजा अर्चना यथासमय हो सके, यह कही पर भी विदित नही है कि मंदिर के नीचे स्थित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर उसका दुरूपयोग किया जा सके। खुदकाश्त की भूमि होने के नाते ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:34:57 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि को पुनः मंदिर श्री सत्यनारायणजी वाके देह खातेदार की प्रविष्टि नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है जो सही एवं उचित है। वादी का वाद किसी भी तरह से साबित नही होकर काबिल खारिज योग्य है एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब एवं काउन्टर क्लेम भी किसी तरह से साबित नही होता है चूॅकि प्रश्नगत भूमि मंदिर खुदकाश्त की भूमि दर्ज चली आई है जिसमें किसी भी नियमों के तहत खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही हो सकते अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम भी खारिज किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनॉक 09/4/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम : **कुचामन सिटी**

बइजलास : **बाबूलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 30 / 2017 **RCMS 2017/00050**

वादीगण

1. रामपाल पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी सबलपुरा तहसील कुचामनसिटी
2. नन्दकिशोर पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी सबलपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. प्रहलाद पुत्र हनुमान
2. महावीर पुत्र हनुमान
3. भंवरीदेवी पत्नी हनुमान
4. मन्जू पुत्री हनुमान
5. संजू पुत्री हनुमान जाति समस्त ब्राहम्ण निवासी सबलपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

दावा घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट. 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद वादीगण एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 09 माह 04 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत............................

ओहदा.................................(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested